01

संविधन, संविधनवाद और संवैधनिक विधि

संविधान का अर्थ है, उन नियमों और प्रक्रियाओं का समुच्चय, जो शासन की संरचना और कार्यों का स्वरूप निर्धारित करती है, शासन के अंगों का विवरण देती है, उनकी शक्तियों और परस्पर संबंधों का निरूपण करती है, और यह भी निर्दिष्ट करती है कि इन्हें किन-किन सीमाओं और मर्यादाओं के भीतर कार्य करना होगा, ताकि शासन या उनका कोई अंग, किसी तरह की मनमानी न कर पाए।

डायसी के अनुसार, संविधान उन कानूनों को कहते है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते है।

संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है, जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है। ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। **सरल शब्दों मे संविधान** किसी राज्य की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला कानून होता है। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। राज्य के लिए संविधान का वही अर्थ एवं महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर का है। अत: संविधान राज्य का शरीर है। राज्य के संदर्भ मे शरीर का अर्थ है उस राज्य की पद्धति।

यूनानी दार्शनिक अरस्तु के शब्दों मे, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है।

संविधानवाद का अर्थ एवं परिभाषा

व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। कार्ल जे. फ्रेड्रिक

संविधानवाद एक आधुनिक युगीन संकल्पना है, जो विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करती है। यह व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का समर्थक है। इसमें राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सीमित (शक्तियों वाली) सरकार के सिद्धान्तों का समावेश होता है। इसका तादात्म्य शविभक्त शक्तियों की व्यवस्था के साथ किया जाता है।

संविधानवाद का अर्थ है, ऐसा सिद्धान्त और व्यवहार, जिसके अन्तर्गत किसी समुदाय का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है। अर्थात् यह संविधान पर आधारित विचारधारा है, जिसका मूल अर्थ यही है, कि शासन संविधान में लिखित नियमों एवं विधियों के अनुसार संचालित हो तथा उस पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, जिससे वे मूल्य एवं राजनीतिक आदर्श सुरक्षित रहें; जिनके लिए समाज राज्य के बंधन को स्वीकार करता है

संविधानवाद निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन है, जिसमें मनुष्य की आधारभूत मान्यताओं, आस्थाओं और मूल्यों की व्यवहार में उपलब्धि सम्भव होती है। दूसरे शब्दों में, संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो मनुष्यों द्वारा संविधान में निहित शक्ति में विश्वास रखते हैं, जिससे सरकार व्यवस्थित बनी रहती है

''कार्ल जे. फ्रेडरिक की भी मान्यता है कि- सभ्य शासन का आधार शक्ति विभाजन है और संविधानवाद का यही अर्थ है।''

प्रो. जे. एस. रोडसैक के अनुसार - धारणा के रूप में संविधानवाद का अर्थ है, अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासित तथा शासन के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था ।

संविधानवाद और संविधान में अंतर:- संविधानवाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक ऐसी राजीतिक प्रणाली या व्यवस्था है, जो कानूनों और नियमों द्वारा संचालित होती है। इसमें शक्तियों के केन्द्रीकरण और निरंकुश सम्प्रभुता का कोई स्थान नहीं। यह गलतफहमी हो जाती है कि संविधान और संविधानवाद दोनों एक ही चीज है। वास्तव में ये दोनों विचार

अपनी प्रकृति और स्वरूप की भिन्नता के कारण एक-दूसरे के निकट दिखाई पड़ते है। ऐसा लगता है मानो ये, एक-दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। एक-दूसरेके साथ जुड़े होने के बावजूद, ये अलग-अलग हैं। इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। यथा-

(1) परिभाषा में अन्तर-

संवैधानिक शासन का आधार व तत्त्व दोनों मिलकर ही संविधानवाद का निर्माण करते हैं। संविधानवाद आवश्यक रूप से प्रजातान्त्रिक परम्परा का पोषक है, जबकि संविधान सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का पुंज है। वस्तुत: संविधान एक संगठन के रूप में है, जबकि संविधानवाद विचारधारा के रूप में है। संविधानवाद एक दर्शन है और संविधान उस दर्शन की अभिव्यक्ति का साधन है।

(2) प्रकृति में अन्तर-

संविधानवाद को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए संविधान साधन है। दूसरे शब्दों में, संविधानवाद जहाँ लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रधानता पर बल देता है, वहीं संविधान की मुख्य विशेषता साधनों की सुव्यवस्था होती है। संविधानवाद आवश्यक रूप से प्रजातान्त्रिक परम्परा का पोषक है, जबकि संविधान सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का पुंज है।

(3) क्षेत्र में अन्तर-

संविधानवाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है अर्थात् संविधानवाद एक से अधिक राज्यों से सम्बन्धित होता है अथवा हो सकता है, जबकि संविधान किसी एक राज्य विशेष के लिए होता है। संविधानवाद की अवधारणा सार्वभौमिक अवधारणा है, जिसका प्रभाव अनेक राज्यों के संविधानों पर समान रूप से पड़ सकता है। इससे स्पष्ट है कि संविधानवाद व्यापक अवध ारणा है और अनेक राष्ट्रों में समान रूप से पाई जा सकती है। संविधानवाद व्यापक तथा विस्तृत अवधारणा है, जबकि संविधान सीमित अवधारणा है।

(4) उत्पत्ति की दृष्टि से अन्तर-

यथार्थ में संविधानवाद एक विकसित विचारधारा का प्रतिफलन है, जबकि संविधान किसी राज्य की परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से संविधान व संविधानवाद में अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है।

(5) औचित्य में अन्तर-

संविधानवाद एक निश्चित विचारधारा पर आधारित होता है, जबकि संविधान राज्य विशेष की परिस्थितियों से प्रभावित होकर मुख्यत: विधि पर आधारित होता है। इस प्रकार संविधान संविधानवाद की विकसित परम्परा का प्रतिफल है। संविधानवाद राष्ट्र की आस्था, विश्वास एवं मान्यताओं को स्वयं में समेटकर गतिमान रहता है। संविधानवाद राष्ट्र की प्रगति से गति लेकर उन्नति में सहायक होता है।

संविधानों का वर्गीकरण या प्रकार

संविधान को अलग-अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है। सामान्यत: तीन आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण किया गया है-

(i) संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण

इसके अंतर्गत विकसित और निर्मित संविधान आते है-

1. विकसित संविधान

विकसित संविधान वे संविधान होते है जिनका निमार्ण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नही किया जाता, वे लंबे राजनीतिक विकास का परिणाम होते है। इनमे प्रथाओं एवं परम्पराओं, राति-रिवाजों तथा न्यायलयों के निर्णयों एवं राजनीतिक चेतना की मुख्य भूमिका होती है। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

2. निर्मित संविधान

निर्मित संविधान वे संविधान है जिनको निश्चित समय पर एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्मित या लेखबद्ध किया जाता है। निर्मित संविधान का पहला उदाहरण अमेरिका का संविधान है जिसका निर्माण तत्कालीन 13 राज्यों द्वारा फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया है। भारत का संविधान भी इसी के अंतर्गत आता है।

(ii) प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर वर्गीकरण

इसके अन्तर्गत लिखित संविधान और अलिखित संविधान आते है--

1. लिखित संविधान

लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके अधिकांश अंश एक या अनेक लेख-पत्रों मे लिखे जाते है। ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संपूर्ण विचार-विमर्श द्वारा किया जाता है।

2. अलिखित संविधान

अलिखित संविधान उस संविधान को कहते है जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है। इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नही किया जाता। यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। इसके विकास मे परंपरागत प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायालयों द्वारा दिये निर्णयों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस संविधान मे शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है।

(iii) संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण

इस प्रकार के संविधानों मे लचीला या सुपरिवर्तनीय संविधान और कठोर या दुष्परिवर्तनीय संविधान आते है--

1. लचीला संविधान

लचीले संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है, जिसमे संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो अर्थात् जिस संविधान मे सरलतापूर्वक परिवर्तन किये जा सकते है, उसे लचीला संविधान कहते है। इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। वहां जिस प्रकार सारधारण कानून बनाये जाते है उसी प्रक्रिया से संविधान मे संशोधन भी किया जा सकता है।

2. कठोर संविधान

लचीले संविधान के विपरीत कठोर संविधान मे परिवर्तन करना कठिन होता है। कठोर संविधान मे संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल होती है, अत: उसमे आसानी से परिवर्तन नही किया जा सकता। लिखित संविधान ही कठोर हो सकता है। लिखित संविधान के द्वारा संविधान मे संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। अमेरिकी संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है।

संवैधानिक विधि

संवैधानिक विधि की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। सामान्यत: इस शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए किया जाता है। जो सरकार के प्रमुख अंगो की संरचना, उनके पारस्परिक सम्बन्धों और प्रमुख कार्यो को विनियमत करते है।

संवैधानिक विधि सामान्यतया संविधान के उपबन्धों में समाविष्ट देश की मूलभूत विधि की द्योतक होती है। विशेष रूप से इसका सरोकार राज्य के विभिन्न अंगो के बीच और संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों के वितरण के की बुनियादी विशेषताओं से होता है। किंतु आधुनिक संवैधानिक विधि में, मूल मानव अधिकारों और नागरिकों तथा राज्य के परस्पर संबन्ध ों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा, सवैधानिक विधि के स्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता, इसमें संवैधानिक निर्णय, परिपाटिया और कतिपय संवैधानिक उपबंधो के अन्तर्गत बनाये गए अनेक कानून सम्मिलित होते है।